

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

परिपत्र

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपायों के परिचालन के दौरान सरकारी व्यय प्रणाली का कार्य संचालन।


कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपायों के परिचालन के दौरान सरकारी व्यय प्रणाली के कार्य संचालन के संबंध में व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी दिनांक 23/3/2020 के कार्यालय जापन सं. 23(4)/ई.कोर्ड/2020 की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ संलग्न है।

सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों का कार्यान्वयन करें।

संलग्नक: यथोक्त

सं.2020/सा.(आवास)3/मेन्ट/विविध/कोविड-19(वित्त)

नई दिल्ली, दिनांक: 23.3.2020


(मनोज कुमार)

निदेशक (सामान्य प्रशासन)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव/रेल मंत्री एवं निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य रेल भंडार, सदस्य (सामग्री प्रबंधन), सदस्य (सिग्नल एवं दूरसंचार) एवं सचिव, रेलवे बोर्ड के प्रमुख स्टाफ अधिकारी/वरिष्ठ निजी प्रमुख सचिव/निजी सचिव
3. अपर सदस्य (वित्त), अपर सदस्य (बजट), अपर सदस्य (राजस्व) और प्रमुख कार्यपालक निदेशक/लेखा बोर्ड कार्यालय में लागू करने हेतु और रेलों को उसी प्रकार के सुझाव देने के लिए